दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 03 अक्टूबर, 2024

रि.या.(आप) 1462/2024

सुश्री मोनिका .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मीर अख्तर हुसैन और सुश्री सोनिया गोस्वामी, अधिवक्तागण

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री यासिर रऊफ अंसारी, अति.स्था.अधि. सह श्री आलोक शर्मा और श्री वासु अग्रवाल, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता

आदेश

न्या. अनूप कुमार मेंदीरत्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2-अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-, दक्षिण पश्चिम जिले द्वारा पारित दिनांक 27.02.2024 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दो वर्ष की अवधि के

लिए निर्वासन आदेश पारित किया गया था, और विद्वान अपीलीय प्राधिकारी, यानी माननीय उपराज्यपाल, एनसीटी दिल्ली द्वारा दिनांक 10.04.2024 को आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत निर्वासन अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई थी।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्वासन कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (इसके बाद, 'दि.पु. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 47 सहपठित धारा 50 के तहत 20.10.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी करके शुरू की गई थी, जो दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत तीन प्राथमिकी में उसकी संलिप्तता के आधार पर निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	प्राथमिकी सं	दिनांक	विधि की धारा	थाना	वर्तमान स्थिति
1	58/18	16.03.2018	33. दिल्ली आबकारी अधिनियम	सागरपुर	लंबित विचारण
2	74/19	24.01.2019	33. दिल्ली आबकारी अधिनियम	सागरपुर	लंबित विचारण
3	152/20	20.03.2020	33. दिल्ली आबकारी अधिनियम	सागरपुर	लंबित विचारण

याचिकाकर्ता की गतिविधियों को समुदाय के लिए ख़तरा और खतरनाक बताया गया।

3. कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत तीनों मामले उस पर झूठे तरीके से लगाए गए हैं और इनमें निर्वासन कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। आगे

कहा गया कि दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ पिछले वर्ष में कम से कम तीन मामले दर्ज होने चाहिए, और याचिकाकर्ता के मामले में उक्त शर्त पूरी नहीं होती है, क्योंकि सभी तीन प्राथमिकी क्रमशः लगातार वर्षों 2018, 2019 और 2020 में दर्ज की गई थीं। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति या चोट पहुंचाने या नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध में शामिल नहीं है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को 14.07.2023 को एक अनुपूरक नोटिस जारी किया गया था क्योंकि उसे वर्ष 2021, 2022 और 2023 के दौरान दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत तीन अतिरिक्त प्राथमिकी में शामिल पाया गया था:

क्र. सं.	प्राथमिकी सं	दिनांक	विधि की धारा	थाना	वर्तमान स्थिति
1	126/21	12.03.2021	33. दिल्ली आबकारी अधिनियम	सागरपुर	लंबित विचारण
2	153/22	05.03.2022	33. दिल्ली आबकारी अधिनियम	सागरपुर	लंबित विचारण
3	278/23	25.05.2023	33. दिल्ली आबकारी अधिनियम	सागरपुर	लंबित विचारण

5. इसके जवाब में, याचिकाकर्ता की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई बचाव साक्ष्य पेश किया गया। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता के

एक साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर मामले पर अंततः सक्षम प्राधिकारी/प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा विचार किया गया और दिनांक 27.02.2024 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को निम्नलिखित कारणों से दो वर्ष की अवधि के लिए विदेश भेज दिया गया

> *.....मामले पर निर्णय लेने से पहले, मैंने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-1, दक्षिण पश्चिम जिला, दिल्ली द्वारा बंद कमरे में दर्ज गवाहों के बयानों का अवलोकन किया है। मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हूं कि गवाह अपनी जान और संपत्ति की सुरक्षा के डर से उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बंद कमरे में यह बयान दिया है। मैंने फाइल पर उपलब्ध अभिलेख और अन्य प्रासंगिक सामग्री का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।* ***अभिलेख से पता चला कि प्रत्यर्थी आबकारी अधिनियम के 06 मामलों में संलिप्त है।*** *अभिलेख की बारीकी से जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि वह इन मामलों में सक्रिय रूप से संलिप्त है।* ***इसके अलावा, प्रत्यर्थी, थाना सागरपुर, दिल्ली के बंडल-ए की एक दुश्चरित्र (बी.सी.) है और कार्यवाही के दौरान, वह अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त पाई गई।*** *अपनी निरंतर और अनवरत गतिविधियों के कारण, प्रत्यर्थी समाज के लिए खतरनाक है। निर्वासन कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी का बाद का आचरण यह दर्शाता है कि वह एक आदतन अपराधी है।* ***माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1999) 5 सुप्रीम कोर्ट केस (613) में रिपोर्ट किए गए अमानुल्ला खान कुदेअतल्ला खान पठान बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में यह राय व्यक्त की थी कि किसी व्यक्ति को खतरनाक व्यक्ति तभी कहा जा सकता है, जब वह आदतन अपराधी हो। जाहिर तौर पर "आदतन" का मतलब बार-बार या लगातार होगा।*** *प्रत्यर्थी का आदतन चरित्र इस तथ्य से बहुत स्पष्ट है कि कार्यवाही के दौरान भी प्रत्यर्थी अपराध करने में लिप्त पाई गई। उसकी निरंतर और लगातार गतिविधियों के कारण, प्रत्यर्थी को एक खतरनाक व्यक्ति कहा जा सकता है। निर्वासन कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी का बाद का आचरण अपराध करने की उसकी आदतन प्रकृति को दर्शाता है।*

मेरा मानना है कि समुदाय में उसकी उपस्थिति समाज के लिए खतरनाक है। गवाह उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें प्रत्यर्थी के हाथों अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का डर है और उसके आचरण पर निश्चित रूप से सख्त नजर रखने की आवश्यकता है।

फाइल पर लाए गए साक्ष्य अर्थात नोटिस, नोटिस का उत्तर, अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान और कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब तक उसके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उसके व्यवहार में सुधार होने की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उसकी गतिविधियां सम्मानित नागरिकों के लिए भय, खतरा और हानि का कारण बन रही हैं। क्षेत्र में उसकी निरंतर उपस्थिति क्षेत्र के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के मन में भय और खतरे की स्थिति पैदा कर रही है, जिन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। मेरा मानना है कि उसका मामला दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 47 के दायरे में आता है और वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकाले जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं।

इसलिए, अब, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 47/50 के तहत मुझ पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 8() के तहत पुलिस आयुक्त, दिल्ली के आदेश द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कुशल पाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-, दक्षिण पश्चिम जिला, दिल्ली, एतद्द्वारा मोनिका पत्नी संदीप उर्फ गोलू निवासी आरजेड-20ए, गली नंबर 25ए, इंद्रा पार्क, सागरपुर, नई दिल्ली को निर्देश देता हूं कि वह इस आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं से बाहर चले जाएं। प्रत्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश न करे या वापस न लौटे। हालाँकि, उसे सुनवाई की सभी तारीखों पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति है और उसके तुरंत बाद वह स्वयं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं से बाहर चली जाएगी तथा न्यायालय परिसर के अलावा किसी अन्य स्थान पर

नहीं जाएगी। यह छूट केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा से बाहर आने और जाने के लिए न्यायालय में सुनवाई की तिथि तक ही है। आदेश की अंतर्वस्तु उन्हें खुले न्यायालय में "हिंदी" भाषा में समझा दी गई है तथा आदेश की एक प्रति उन्हें उचित रसीद के साथ सौंप दी गई है। प्रत्यर्थी की उपस्थिति में खुला न्यायालय में आदेश घोषित किया गया। प्रत्यर्थी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 51 के तहत इस आदेश के विरुद्ध प्रशासक (दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल) को ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील करने के उसके अधिकार के बारे में भी सूचित किया जाता है।

6. याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी (अर्थात माननीय उपराज्यपाल, एनसीटी दिल्ली सरकार) के समक्ष दिनांक 27.02.2024 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत निर्वासन की अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई थी।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

7. ***(i)*** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दि.पु. अधिनियम की धारा 50 के साथ धारा 47 के तहत नोटिस जारी करके 20.10.2020 को शुरू की गई कार्यवाही समय से बहुत दूर है और दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत 2018, 2019 और 2020 की अवधि से संबंधित तीन प्राथमिकी के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2024 को आक्षेपित आदेश पारित होने से बहुत पहले की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रावधानों को

लागू करने के लिए, विश्वसनीय सामग्री के आधार पर स्पष्ट और वर्तमान खतरा होना चाहिए, जो संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों और कृत्यों को भयावह या खतरनाक बनाता है या हिंसा से भरा हुआ है, जैसा कि प्रेम चंद बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 613 में अभिनिर्धारित है।

(ii) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को गवाहों की जिरह के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत मार्च, 2021, मार्च, 2022 और मई, 2023 में दर्ज प्राथमिकी में उसकी संलिप्तता कानून के अनुसार साबित नहीं हुई है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को बचाव पक्ष के गवाहों को पेश करने और एक अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है।

(iii) उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा **अमानुल्ला खान कुदेअतल्ला खान पठान बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य,** (1999) 5 एससीसी 613 पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दि.पु. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है। दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के स्पष्टीकरण का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर ऐसे कार्यों में शामिल होता है, तो उसे 'आदतन' उस कार्य को करने वाला माना जाएगा। यह बताया गया कि

याचिकाकर्ता प्रत्येक वर्ष में केवल एक ही प्राथमिकी में संलिप्त थी, और इस प्रकार उसे आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता।

उन्होंने आगे जोर दिया कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता 'आदतन और खतरनाक' है या उसकी गतिविधियों का उद्देश्य नागरिकों में भय, खतरा और हानि उत्पन्न करना है। आगे इन पर भरोसा रखा गया है :-**प्रेमचंद (पानीवाला) बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1981 एससी 613; रवि कुमार बनाम पुलिस उपायुक्त, 25 (1984) डीएलटी 285; मोहम्मद असलम बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य, 29 (1986) डीएलटी 437; नवाब खान अब्बासखान बनाम गुजरात राज्य, (1974) 2 एससीसी 121; कल्याणी भास्कर (श्रीमती) बनाम सुश्री सम्पूर्णम (श्रीमती), 2007 (2) एससीसी 258; एआईआर 2006 एससी 1376; पीसी 253 (1); टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) जामनगर, (2015) 11 एससीसी 628; और जेटी 2022 (7) एससी 428.**

(iv) उपरोक्त के अलावा, अनुकंपा के आधार पर निर्वासन आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता को दो बच्चों की देखभाल करनी है और उसका पति चिकित्सा संबंधी बीमारियों से पीड़ित है।

<u>प्रतिवादियों के लिए अति.स्था.अधि. की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

8. ***(i)*** दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अति.स्था.अधि. ने अपील में बरकरार रखे गए निर्वासन के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को कानूनी सहायता के माध्यम से अधिवक्ता नियुक्त करने का उचित अवसर दिया गया था, लेकिन वह कार्यवाही में उपस्थित होने से बचती रही, यद्यपि कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में उत्तर दाखिल किया गया था। यह बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के लिए विवश था और गवाहों के बयान याचिकाकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं लिया और चूंकि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उसे तीन और प्राथमिकियों में संलिप्त पाया गया, इसलिए उसे एक अनुपूरक नोटिस जारी किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने न तो पूरक नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया/प्रत्युत्तर दाखिल करना पसंद किया, न ही कोई बचाव साक्ष्य पेश किया, इसलिए मामले की अंततः सुनवाई हुई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा 27.02.2024 को आदेश पारित किए गए।

(ii) राज्य के विद्वान अति.स्था.अधि. ने आगे कहा कि निर्वासन आदेश याचिकाकर्ता की आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त होने पर आधारित है, जो समाज के लिए खतरा पैदा करता है, और निर्वासन के लिए एक वैध आधार है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को अनुपूरक नोटिस जारी किया गया

था, क्योंकि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत प्राथमिकी संख्या 126/2021, 153/2022 और 278/2023 में उनकी संलिप्तता पाई गई थी। याचिकाकर्ता को थाना सागरपुर के बंडल-ए का एक दुश्चरित्र (बी.सी.) बताया गया है और गवाह उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। तर्कों के समर्थन में, **शैलेंदर कौर बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल, 2001 एससीसी ऑनलाइन डेल 464; कौशल्या बनाम राज्य, 1987 एससीसी ऑनलाइन डेल 265; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य बनाम संजीव @ बिट्टू, (2005) 5 एससीसी 181 और मोहम्मद शारिकी खान बनाम राज्य एवं अन्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 12724 पर भी भरोसा किया गया है।**

(iii) विद्वान अति.स्था.अधि. ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता का मामला दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत आता है, और याचिकाकर्ता द्वारा अन्य खंडों का उल्लेख किए बिना दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के स्पष्टीकरण पर भरोसा करना गलत है। **राकेश कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य**, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 3887 का संदर्भ दिया गया है।

(iv) उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दि.पु. अधिनियम की धारा 52 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है जैसा कि **राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य बनाम वेदी प्रकाश, (2006) 5 एससीसी 228**

और खालिद बनाम अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त एवं अन्य, 2004 एससीसी ऑनलाइन डेल 1109 में कहा गया है।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

9. दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत निर्वासन का आदेश पारित किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है:

> *"(क) किसी व्यक्ति की गतिविधियों या कार्यों से किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को कोई संत्रास, खतरा या हानि उत्पन्न हो रही है या वे ऐसे संत्रास, खतरे या हानि पहुंचाने के लिए प्रकल्पित हैं; या*
>
> *(ख) यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने में, जिसमें बल या हिंसा अन्तर्ग्रस्त है या ऐसा अपराध करने में, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12, अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन अथवा उस संहिता की धारा 290 या धारा 489क से धारा 489ङ तक (जिनमें ये दोनों धाराएं भी हैं) के अधीन दंडनीय है, या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने में लगा है या लगने वाला है; या*
>
> *(ग) ऐसा व्यक्ति-*
>
> *(i) इतना दुःसाहसिक और खतरनाक है कि उसका दिल्ली या उसके किसी भाग में मुक्त रहना समाज के लिए परिसंकटमय है; या*
>
> *(ii) हिंसात्मक कार्यों या वल प्रदर्शन द्वारा अन्य व्यक्तियों को अभ्यासतः अभित्रस्त करता हुआ पाया गया है; या*

(iii) अभ्यासतः दंगा या शांतिभंग या बलवा करता है या अभ्यासतः बलपूर्वक चन्दा संग्रह करता है या अपने लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए अवैध आर्थिक अभिलाभ के लिए व्यक्तियों को धमकी देता है; या

(iv) अभ्यासतः स्त्रियों और लड़कियों पर अशिष्ट फबतियां कसता है या इशारे करके उन्हें तंग करता है,

और पुलिस आयुक्त की राय में, अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में किसी आशंका के कारण, साक्षी सार्वजनिक रूप से उनके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए इच्छुक नहीं है, तो पुलिस आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, जो उस व्यक्ति पर सम्यक्तः तामील किया जाएगा अथवा डोंडी पिटवाकर या अन्य ऐसे रूप में, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसा आचरण करे जैसा हिंसा और संत्रास रोकने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, या दिल्ली या उसके किसी भाग से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर, हट जाए, जो पुलिस आयुक्त विनिर्दिष्ट करे और, यथास्थिति, दिल्ली या उसके किसी ऐसे भाग में, जिससे हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, प्रवेश न करे या वापस न लौटे।

स्पष्टीकरण—*किसी व्यक्ति के बारे में, जो इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई प्रारम्भ की जाने के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान, इस धारा में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी कार्य को कम से कम तीन बार करता हुआ पाया गया है या उसमें सम्मिलित रहा है, यह समझा जाएगा कि उसने वह कार्य अभ्यासतः किया है।''*

10. निर्वासन कार्यवाही सख्त अर्थों में अपराधों के लिए अभियोजन नहीं है, बल्कि यह प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति द्वारा बार-बार अपराध किए जाने को

रोकने और सांठगांठ को तोड़ने के लिए एक उपाय है। यही तरीका उन कुछ मामलों में अपनाया जाता है, जहां गवाह अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण उग्र अपराधी के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आते। यह धारा स्वयं दर्शाती है कि इस प्रावधान का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में समाज में अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए किया जाना है।

11. इसके अलावा, यह सुस्थापित है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मात्र आशंका पर्याप्त नहीं हो सकती है और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट और वर्तमान खतरा होना चाहिए, जो प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति की गतिविधियों या कार्यों को किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए भय, खतरा या हानि पहुंचाने वाला बनाता हो। इसके अलावा यह मानने के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, वह इतना उग्र और खतरनाक है कि क्षेत्र में उसकी उपस्थिति मात्र समुदाय और उसकी सुरक्षा के लिए खतरनाक है, जैसा कि **प्रेम चंद बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 01981 एससी 613 में कहा गया है।**

12. गाजी सद्दूदीन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2003) 7 एससीसी 330 में यह देखा गया कि प्राधिकारी की संतुष्टि में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संभवतः कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। तथापि, प्राधिकारी की संतुष्टि में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि दर्ज की गई संतुष्टि

स्पष्ट रूप से विकृत हो, किसी साक्ष्य पर आधारित न हो, भ्रामक साक्ष्य पर आधारित हो या कोई भी विवेकशील व्यक्ति, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, निर्वासन का आदेश पारित करने की समीचीनता/आवश्यकता के बारे में संतुष्ट न हो सका हो।

माननीय शीर्ष न्यायालय ने **आपराधिक अपील संख्या 498/2005 जिसका शीर्षक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य बनाम संजीव उर्फ बिट्टू, में 04.04.2005 को दिए गए निर्णय** में कहा कि निर्वासन से संबंधित मामलों की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिक कार्यों के निर्वासन से संबंधित ऐसे मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप कम करना चाहिए जब तक कि निर्णय अवैध, तर्कहीन या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त न हो।

13. उपर्युक्त संदर्भ में, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1954 की धारा 56 से 59 का दायरा और परिधि, जो कि दि.पु. अधिनियम के प्रावधानों के समान है, पर **पंढरीनाथ श्रीधर रंगनेकर बनाम राज्य, (1973) 1 एससीसी 372** में विचार किया गया था और इसमें की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता है:

> *"8. अधिनियम की धारा 56, जहां तक आवश्यक हो, यह प्रावधान करती है कि जब भी ग्रेटर बॉम्बे में आयुक्त को यह प्रतीत हो कि: (क) किसी व्यक्ति की गतिविधियां या कार्य किसी व्यक्ति या संपत्ति को भय, खतरा या हानि पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, या (ख) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति बल या हिंसा से जुड़े किसी अपराध या दंड संहिता, 1860 के अध्याय , या के तहत दंडनीय अपराध करने में संलग्न है या संलग्न होने वाला है, और जब ऐसे अधिकारी की*

राय में साक्षी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्राणों या सम्पत्ति की सुरक्षा को लेकर भय है, तो उक्त अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र से और किसी जिले या जिलों से या उसके निकटवर्ती किसी भाग से, ऐसे समय के भीतर, जैसा उक्त अधिकारी विहित करे, बाहर चला जाए और उक्त क्षेत्र में प्रवेश न करे या वहां से वापस न लौटे, जहां से उसे जाने का निर्देश दिया गया था। धारा 58 के अंतर्गत, धारा 56 के अंतर्गत पारित निर्वासन आदेश किसी भी स्थिति में उसके पारित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। धारा 59(1) का प्रासंगिक भाग यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 56 के अंतर्गत आदेश पारित करने से पहले, अधिकारी उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध महत्त्वपूर्ण आरोपों की सामान्य प्रकृति के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा तथा उसे उन आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर देगा। प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार है, जब तक कि प्राधिकारी यह नहीं मानता कि गवाहों के परीक्षण के लिए आवेदन परेशान करने या देरी करने के उद्देश्य से किया गया है।धारा 59 संबंधित व्यक्ति को लिखित बयान दाखिल करने तथा अधिवक्ता या अटॉर्नी के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार भी प्रदान करती है।

9. ये प्रावधान दर्शाते हैं कि निर्वासन आदेश पारित करने को आवश्यक या उचित ठहराने वाले कारण असाधारण परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। धारा 56 के खंड (क) या (ख) के अंतर्गत निर्वासन का आदेश तभी पारित किया जा सकता है, जब संबंधित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गवाह प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भय है। किसी खुले अभियोजन में अपेक्षित विवरणों का पूर्ण और पूर्ण प्रकटीकरण निर्वासन कार्यवाही के उद्देश्य को विफल कर देगा। यदि कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति को ठोस आंकड़े जैसे घटनाओं की विशिष्ट तारीखें या उन घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के नाम आदि उपलब्ध कराए जाएं, उन लोगों की पहचान

तय करना काफी आसान होगा जो अपने जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचने के डर से सार्वजनिक रूप से गवाही देने को तैयार नहीं हैं। समाज में एक प्रकार का अराजक तत्व मौजूद है, जिसे न्यायिक विचारण के स्थापित तरीकों से सजा दिलाना असंभव है, क्योंकि ऐसे विचारणों में कानूनी साक्ष्य के बिना दोषसिद्धि नहीं हो सकती। तथा कानूनी साक्ष्य प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि प्रतिशोध के भय से गवाह सार्वजनिक रूप से गवाही देने को तैयार नहीं होते। इससे स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धारा 59, प्राधिकारियों पर प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति को उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण आरोपों की सामान्य प्रकृति के बारे में सूचित करने का सीमित दायित्व क्यों डालती है। यह दायित्व प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति के सह-सापेक्ष अधिकार की सीमाएं तय करता है। वह धारा 56 के अन्तर्गत निर्वासन आदेश पारित होने से पूर्व अपने विरुद्ध लगाए गए महत्वपूर्ण आरोपों तथा उन आरोपों की सामान्य प्रकृति को जानने का हकदार है। वह महत्वपूर्ण आरोपों से संबंधित विशिष्ट विवरणों की जानकारी पाने का हकदार नहीं है।

10. *Xxxxx* *xxxxxx* *xxxxxx*

11. *xxxxx* *xxxxxx* *xxxxxx*

12. *xxxxx* *xxxxxx* *xxxxxx*

13. *xxxxx* *xxxxxx* *xxxxxx*

14. *xxxxx* *xxxxxx* *xxxxxx*

15. जहां तक अंतिम बिंदु का प्रश्न है, यह मुख्य रूप से निर्वासन प्राधिकारी को तय करना है कि निर्वासन आदेश को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है, ताकि इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। धारा 58 द्वारा निर्धारित दो वर्ष की वैधानिक सीमा के भीतर, यह आदेश कितने समय तक प्रभावी रहेगा तथा धारा 56 की वैधानिक सीमाओं के भीतर इसे किन क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय उस डेटा की प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसे प्राधिकारी निर्वासन कार्यवाही में एकत्र करने में सक्षम है। ऐसे अनेक मामले हैं और इसलिए कोई सामान्य सूत्रीकरण नहीं किया जा सकता कि निर्वासन का आदेश हमेशा उस क्षेत्र तक ही सीमित होना चाहिए जहां तक निर्वासित व्यक्ति की अवैध गतिविधियां फैली हुई हैं। निर्वासन आदेश के अंतर्गत संभवतः एक

बड़े क्षेत्र को शामिल करना होगा, ताकि निर्वासित व्यक्ति को उसके निवास स्थान से अलग रखा जा सके।

***16.** अतिशय आदेश को निस्संदेह रद्द किया जा सकता है क्योंकि मामले की परिस्थितियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उचित से अधिक किसी प्रतिबंध की अनुमति नहीं दी जा सकती है।……..”*

14. वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2018, 2019 और 2020 में दर्ज प्राथमिकी में अवैध शराब की तस्करी के मामलों में याचिकाकर्ता की बार-बार संलिप्तता के कारण निर्वासन आदेश पारित किया गया था, इसके बाद मार्च 2021, मार्च 2022 और मई 2023 में दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत प्राथमिकी में भी उसकी संलिप्तता देखी गई। तदनुसार, 2021, 2022 और 2023 में दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को एक अनुपूरक नोटिस जारी किया गया। इससे याचिकाकर्ता की आपराधिक अपराधों में निरंतर लिप्त रहने की प्रवृत्ति प्रतिबिंबित होती है। याचिकाकर्ता को थाना सागरपुर के बंडल-ए के दुश्चरित्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस तरह गवाह उसके खिलाफ गवाही देने के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। केवल इसलिए कि दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत उपरोक्त मामले में विचारण लंबित है या वे मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य पर आधारित हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज व्यक्तिपरक संतुष्टि में हस्तक्षेप करने का वैध आधार नहीं है। अभिलेख के अनुसार, शराब की अवैध बिक्री और अवैध तस्करी में बार-बार लिप्त होने के

कृत्य बड़े पैमाने पर समाज के लिए भय या खतरा पैदा करते हैं और यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता उग्र और खतरनाक चरित्र वाला है। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से में होना, स्पष्ट रूप से समुदाय के लिए खतरनाक है।

15. इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि कि प्रस्तावित निर्वासित व्यक्ति के कार्य दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के दायरे में आते हैं, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई प्राथमिकी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने से तुरंत पहले एक वर्ष के भीतर नहीं आती हैं, गलत प्रतीत होता है क्योंकि स्पष्टीकरण केवल दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के खंड (ग) में 'आदतन प्रयुक्त' शब्द को स्पष्ट करता है। इसमें यह निर्धारित नहीं किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता के कृत्य दि.पु. अधिनियम की धारा 47 के अन्य खंडों के अंतर्गत आते तो यह आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिल्ली आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत शराब की अवैध बिक्री और अवैध शराब का

कारोबार समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और इस पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है।

अभिलेख के अवलोकन के आधार पर, यह न्यायालय इस राय पर पहुंचा है कि इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उचित नोटिस दिया गया था और गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्राधिकारी भिन्न-भिन्न हैं। अपीलीय प्राधिकारी (अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल) द्वारा निर्वासन की अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष करके पहले ही एक दयालु दृष्टिकोण अपनाया जा चुका है, और इसमें इस न्यायालय द्वारा और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कारणों से, याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसका भी निपटान कर दिया गया है।

(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)
न्यायाधीश

03 अक्टूबर, 2024/वी/एसडी

रि.या.(आप) 1462/2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*